

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान

क्रमांक :- F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/2019-20/ 88-106

दिनांक :- 28.8.19

संशोधन आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक FA&CAO/RWSSMB/Mission/2018-19/1450-66 दिनांक 08.03.2019 के serial No. 21, Part-C, Water Tariff for special projects में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है-

S.No.	Consumer category/ Charges	Present Tariff	Revised Tariff
21	Water Charges for special projects.		
	a. For consumption upto 10 lpcd	Rs. 1.65 per KL	No monthly water Charges from consumers with consumption up to 40 lpcd
	b. For consumption 10 lpcd to 40 lpcd	Rs. 3.85 per KL	
	c. For consumption 10 lpcd to 70 lpcd for DDP Blocks	Rs. 4.95 per KL	No monthly water Charges from consumers of DDP Blocks with consumption up to 70 lpcd

उपरोक्त प्रावधान संशोधन आदेश दिनांक 28.08.2019 से प्रभावी होंगे एवं इसके पश्चात जारी होने वाले सभी पेयजल बिलों पर लागू होंगे। शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। उक्त संशोधन पर वित्त विभाग द्वारा आई डी संख्या 101902877 दिनांक 21.08.2019 से सहमति जारी की गयी है।

(संदीप वर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक :- F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/2019-20/ 88-106

दिनांक :- 28.8.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. तकनीकी सदस्य/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/सचिव राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू/तकनीकी/प्रशासन/ग्रामीण/विशेष परियोजना/प्रोजेक्ट जोधपुर/पीएमयू नागौर) को प्रेषित कर निर्देश है कि अपने स्तर से समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को उपरोक्त आदेशों की प्रति अग्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।
8. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग